(आदेश की प्रतिलिपि)

न्यायालय–प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)

जमानत याचिका कमांक 2203/2019

आदेश दिनांक 12/09/2019

न्याया0–कु0रूपल अग्रवाल, न्या.मजि.प्र.श्रे.रायपुर

दं0प्र0क0–6583/19

अपराध कमांक 60/19

थाना आजाद चौक,रायपुर

जैकी जायसवाल,आयु 25वर्ष,
पिता राजन जायसवाल,
साकिन–सांई नगर, वार्ड नं0–18,
कैम्प 1,भिलाई, थाना छावनी,
जिला–दुर्ग(छ.ग.)

----------आवेदक/आरोपी

// विरूद्ध **//**

छत्तीसगढ राज्य,
द्वारा आरक्षी केन्द्र–आजाद चौक,
जिला–रायपुर(छ.ग.)

----------अनावेदक

12/09/2019 आवेदक/अभियुक्त जैकी जायसवाल द्वारा श्री अनुप सोनी अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री विजय कुमार भोई, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर(कु0रूपल अग्रवाल) से दं0प्र0क0–6583/2019, अंतर्गत धारा 392,34 भा0दं0वि0 का अभिलेख प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु श्री अनुप सोनी,अधिवक्ता ने धारा–439 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रथम जमानत आवेदन–पत्र होने और अन्य किसी सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में कोई आवेदन–पत्र लंबित या निराकृत नहीं होने का कथन किया है, आवेदन के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री राजन जायसवाल का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है, आवेदन–पत्र एवं शपथ–पत्र पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होता, इसलिये आवेदक/अभियुक्त का धारा–439 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत यह प्रथम जमानत आवेदन–पत्र होना दर्शित होता है।

जमानत आवेदन–पत्र पर उभय पक्षों के तर्क सुने गये।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन के तर्क में एवं जमानत आवेदन में यह निवेदन किया गया है कि उसे थाना आजाद चौक,

रायपुर द्वारा अपराध क्रमांक–60/2019, धारा–392,34 भा0दं0वि0 में दिनांक 07/05/2019 को गिरफ्तार किया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 दं0प्र0सं0 दिनांक 30/08/2019 को निरस्त की गयी है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष हैं, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उसकी किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्तता नहीं रही है तथा उसके कब्जे से किसी भी वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध कायम करवाया गया है तथा विवेचना के दौरान शिनाख्ती नहीं करायी गयी है। प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है तथा प्रकरण के निराकरण में समय लगने की प्रबल संभावना है। वह सांई नगर, भिलाई का स्थायी निवासी है, उसके फरार होने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने के लिये तैयार है, इसलिए आवेदन स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

अपर लोक अभियोजक श्री भोई ने तर्क किया कि अपराध योजनाबद्ध तरीके से हथियार से वार कर लूट कारित किये जाने का होकर अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, अतः जमानत आवेदन–पत्र निरस्त किया जाये।

आवेदन पत्र के निराकरण के परिप्रेक्ष्य मे न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर(कु0रूपल अग्रवाल) के दं0प्र0क्र0–6583/2019, अंतर्गत धारा 392 भा0दं0वि0 के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अभिलेख के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि प्रार्थी राजेश अग्रवाल ने दिनांक 23/02/2019 को थाना आजाद चौक, रायपुर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह समता कालोनी गायत्री मंदिर के पीछे रहता है। दिनांक 18/02/2019 को उसकी मां श्रीमती राजदुलारी अग्रवाल रोज की तरफ घर से बाहर सडक पर गायत्री मंदिर के बगल रोड में शाम को टहलने बहन कु0रेखा अग्रवाल के साथ गयी थी, गले मे सोने का चेन वजनी करीबन 2 तोला का पहनी थी, जिसमें ऊँ डिजाइन का सोने का लॉकेट लगा था। टहलते समय मां वृद्ध होने से धीरे–धीरे तथा बहन तेजी से टहल रही थी, दोनों की बीच करीबन 15 कदम का फासला था, तभी दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसायकल से आये और मोटरसायकल को सडक किनारे खडे किये और मोटरसायकल के पीछे बैठा लडका चलते हुए उसकी मां के पास आकर गले में पहने सोने की चेन को एकाएक झटका देकर छीनकर दौडते हुए मोटरसायकल की ओर भागा, तब उसका साथी मोटरसायकल में बैठते ही दोनों चेन लूटकर फरार हो गये। मां गले में पहने सोने की चेन को झपटते देख बचाव मे गले की चेन के लॉकेट वाले भाग को जोर से पकडे होने से चेन में लगा लॉकेट मां के हाथ में रह गया तथा पूरी सोने

की चेन लुटेरे लूटकर ले गये। करीब 7.50 बजे उसे फोन से लूट की घ ाटना की सूचना प्राप्त होने पर वह घर आया तब घटना की पूरी जानकारी मिली। घटना के समय मां के चीखने पर बहन रेखा अग्रवाल के पहुंचने पर उसे चेन लूटकर ले जाने की बात बतायी थी। मोटरसायकल मे सवार लुटेरों को पर्याप्त रोशनी नहीं होने से उसकी मां व बहन देख व पहचान नहीं पायी थी। आस पास के लोगों से पूछताछ व पता करते रहने एवं व्यवसायिक कार्य में व्यस्त होने से दिनांक 23/02/2019 को प्रार्थी द्वारा घटना की रिपोर्ट करना बताया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्र. 60/2019 धारा 392 भा0दं0वि0 के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण अन्वेषण में लिया गया। अन्वेषण के दौरान 24/02/2019 को जैकी जायसवाल और भरत गुप्ता को अभिरक्षा में लेकर उनका धारा–27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेंडम कथन लेखबद्ध किया, मेमोरेंडम कथन में जैकी जायसवाल के द्व ारा बताया गया है कि दिनांक 18/02/2019 को उसका दोस्त भरत गुप्ता भिलाई से रायपुर अपनी पल्सर वाहन से आया और उसका वाहन कहीं पर खडा कर भरत गुप्ता की गाडी से समता कालोनी में मंदिर के पास एक महिला के गले से सोने की चैन खींचे और पल्सर गाडी से भाग गए। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी लूट की वारदात किया जाना बताया है तथा लूटी हुई चेन में से 04 नग सोने की चेन स्वयं रखना एवं 04 नग सोने की चेन भरत गुप्ता को बंटवारे में देना बताया है। तदुपरांत अभियुक्त जैकी जायसवाल की निशांदेही पर लूटी गयी सोने की तीन नग चेन, ओप्पो कंपनी का मोबाइल एवं एक मोटरसायकल तथा सह अभियुक्त भरत गुप्ता से 04 नग लूट की सोने की चेन,एक मोबाइल वीवो कंपनी का तथा एक पल्सर मोटरसायकल की जप्ती की गयी है। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात संपूर्ण विवेचना उपरांत थाना आजाद चौक,रायपुर द्व ारा अभियोगपत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है,प्रकरण में विचारण जारी है।

केस डायरी मे एकत्रित साक्ष्य के अनुसार आवेदक/अभियुक्त एवं एक अन्य के विरूद्ध एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से लूट की घटना कारित किये जाने का मामला पंजीबद्ध होकर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है। पूर्व में सह–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका क्रमांक–1392/19 का निराकरण प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर करते हुए दिनांक 07/06/2019 को निरस्त किया गया है। इस आवेदक/अभियुक्त का प्रकरण उससे भिन्न नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त जैकी जायसवाल की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–439 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रतिलिपि सहित मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय को वापस लौटाया जावे।

परिणाम दर्ज किया जावे।

प्रकरण नस्तीबद्ध कर विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/–
(श्रीमती लीना अग्रवाल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर,छ0ग0

प्रतिलिपि :–

न्यायालय कु0रूपल अग्रवाल, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी रायपुर की ओर सूचनार्थ दां0प्र0क0 6583/19,अंतर्गत धारा 392,34 भा0दं0वि0 के अभिलेख के साथ संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित।

सही/–
(श्रीमती लीना अग्रवाल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर,छ0ग0